

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

15 जुलाई, 2025 ई०

संख्या-1 / 314106 / 2025 / VIII-1 / 2025-70(श्रम)2001 पार्ट-II, (Comp no 64303)- रजिस्ट्रार जनरल, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या:-4246 / UHC/XIII-f1/Admin.A-2/2010, दिनांक 09 जुलाई, 2025 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तें) नियमावली-1996 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-89 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में दावों का निस्तारण करने हेतु निम्नवत तालिका में अंकित न्यायाधीश को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-2 में वर्णित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रचलित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०स०	न्यायाधीश का नाम/वर्तमान तैनाती का स्थल	नवीन तैनाती का स्थल
1.	सुश्री कहकशा खान, सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा न्यायाधिकरण, देहरादून।	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, देहरादून।
2.	श्री विजयंत कुमार, पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।	पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक, न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, हल्द्वानी, नैनीताल।
3.	सुश्री रमा पांडे, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हरिद्वार।	पीठासीन अधिकारी, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर।

आज्ञा से,

डॉ० श्रीधर बाबू अददांकी,

सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 04-10-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी०एस०यू० (आ०ई०) 04 श्रम/457-15-10-2025-20 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)